भंवरलाल बनाम छदामाराम वगैरह
बुलीदेवी बनाम कैलीदेवी वगैरह
रा. प्रा.पत्र संख्या 10/2020 एवं 16/2020

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 10/2020

प्रार्थी :–

1. भंवरलाल पुत्र सालूराम जाति–जाट
   निवासी–तंवरा, तहसील–जायल, जिला–नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. छदामाराम पुत्र मोहनराम जाति–मेघवाल
2. बुधाराम पुत्र मोहनराम जाति–मेघवाल
3. कैलीदेवी पत्नि मोहनराम जाति–मेघवाल
4. बुलीदेवी पत्नि लिछमणराम जाति–मेघवाल
5. देरामाराम पुत्र हेमाराम जाति–जाट
6. रामकरण पुत्र सुखाराम जाति–जाट
7. रामदेव पुत्र सुखाराम जाति–जाट
8. रामेश्वर पुत्र सुखाराम जाति–जाट
9. सुरजाराम पुत्र सुखाराम जाति–जाट निवासीगण–ढाकासर (तंवरा) तहसील–जायल
10. झणकारी पत्नि सालुराम जाति–जाट
11. ओमप्रकाश पुत्र सालुराम जाति–जाट
12. भगवानाराम पुत्र सालुराम जाति–जाट
13. अणदी पुत्री सालुराम जाति–जाट
14. नत्थुड़ी पुत्री सालुराम जाति–जाट
15. ईमरती पुत्री सालुराम
    जाति–जाट निवासीगण–तंवरा तहसील–जायल जिला–नागौर
16. तहसीलदार साहब जरिये राजस्थान सरकार

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

प्रार्थना पत्र संख्या 16/2020

प्रार्थीगण –

1. बुलीदेवी पत्नि लिछमणराम
   जाति–मेघवाल निवासीगण–ढाकासर (तंवरा) तह. जायल

बनाम

24/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण –

1. कैलीदेवी पत्नि मोहनराम
2. छदामाराम पुत्र मोहनराम
3. बुधाराम पुत्र मोहनराम जातियान–मेघवाल निवासीगण–ढाकासर (तंवरा) तह. जायल
4. रामकरण पुत्र सुखाराम
5. रामदेव पुत्र सुखाराम
6. रामेश्वर पुत्र सुखाराम
7. सुरजाराम पुत्र सुखाराम
8. देरामाराम पुत्र हेमाराम जातियान–जाट, निवासीगण–ढाकासर (तंवरा) तह.जायल
9. तहसीलदार साहब जरिये राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री गोविन्दराम ढाका/श्री रामप्रकाश बैंदा
2. अधिवक्ता अप्रार्थी श्री योगेश शर्मा/श्री बस्तीराम ढाका
3. अप्रार्थीगण राजपैरोकार (16 व 9) उपस्थित।

– : : आदेश : : –

उपरोक्त अनुवानित प्रार्थना पत्र संख्या 10/2020 का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता के न्यायालय हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251ए के तहत रास्ता स्वीकृति व घोषणा हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण के सहखातेदारी के खेत खसरा नं. 313 मौजा–ढाकासर तहसील जायल की काकड़ में स्थित हैं। प्रार्थी के अन्य कोई नजदीकी व सबसे कम दूरी का यही एक मात्र रास्ता होने से प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत 313 में अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 317, 316, 314, 637/314 में से माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से डी 12 फीट चौड़ाई में रास्ते का उपयोग/उपभोग कृषि काश्त हेतु करता रहा है तथा अपने पशुधन, ट्रेक्टर, उंट छकड़ा आदि लाता जाता रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 बुधाराम व छदामाराम प्रार्थी को सहखातेदारी के खेत खसरा नं. 313 में आने जाने नहीं दे रहे रहे है। प्रार्थी को अपने खेताय में कृषि कार्य करने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता/संसाधन नहीं है। प्रार्थी कब्जा काश्त के खेताय आवागमन का विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र माफिक नजरी नक्शा मार्क ए से डी के रास्ते की निकटतम रास्ता जो कि तंवरा से चुवाद पक्की डामर सड़क होने से होते हुये है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खेताय में से माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ता के संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं हो पाने के कारण प्रार्थी वादग्रस्त रास्ता अप्रार्थीगण से

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

24/03/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

12 फीट चौड़ाई में दिलाये जाने हेतु उक्त आवेदन पत्र पेश किया जिसे माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार कर कटाण घोषित करते हुये बंद रास्ते को खुलवाने व कटाणी घोषित कराने बाबत् की इस्तदुआ की गई।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जायल को प्रकरण में मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा व अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 10 से 14 की ओर से वकील श्री गोविन्दराम ढाका ने वकालात नामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 5 से 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार जायल ने प्रकरण हाजा में मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक 2033 दिनांक 04.08.2020 पेश की जिसमें प्रार्थी के आने जाने के लिए पूर्व में वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 318, 319, 637/314 व 317, 314, 637/314, 316 में से होकर बताया जो बंद है। प्रार्थी भंवरलाल के सबसे नजदीक रास्ता खसरा नं. 316 व 314 में से है, नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी, बी से सी है। प्रस्तावित/वांछित रास्ते पर कच्चा/पक्का निर्माण नहीं है। खसरा नं. 316 में से 0.0404 हैक्टैयर, तथा खसरा नं. 314 में से 0. 0566 हैक्टैयर, अर्थात कुल 0.0970 हैक्टैयर भूमि रास्ता हेतु उपभोग हेतु बनती है, उक्त खसरों की वर्तमान डी.एल.सी. दर 23612 रू. प्रति बीघा होना बताया है तथा अप्रार्थीगण द्वारा मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना करना अंकित किया है।

प्रार्थना पत्र संख्या 10/2020 में वकील अप्रार्थी संख्या 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ने प्रार्थना पत्र के पैराज को जरिये इकबालिया जवाब व सही होना बताया है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने प्रार्थना पत्र के संबंध में जवाब/आपत्तियां पेश करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के आंशिक पैरा सही होना तथा बाकी समस्त पैराज गलत, बनावटी मनगढ़त होना बताया है। वकील अप्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी का खेत खसरा नं. 313 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेताय के पास मौजा ढाकासर में जरूर है परन्तु माफिक नजरी नक्शानुसार जो रास्ता दर्शाया है वह रास्ता माफिक मौका रिपोर्ट नजदीकी नहीं है, जबकि मौका रिपार्ट में प्रार्थी के खेत खसरा नं. 313 में सबसे नजदीकी रास्ता खसरा नं. 316 व 314 की सींव से दर्शाया है जो सीधा, नजदीकी व सुगम रास्ता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई नजदीक रास्ता प्रार्थी के खेत तक नहीं है। धारा 251क आर.टी.एक्ट की मंशानुसार सबसे नजदीकी कटाणी रास्ता से ही काश्तकार/खातेदार को वैकल्पिक रास्ता का अभाव होने तथा रास्ते की नितान्त आवश्यकता होने पर दिये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी के खेत के लिए सबसे कम दूरी का रास्ता खसरा नं. 316 व 314 की उतरी सींव के पास से है। अतः प्रार्थी की रास्ते की मांग नहीं कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थी ने दौराने जवाब किया है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 5 ने प्रार्थना पत्र के पैराज सही होना स्वीकार करते हुये मौका रिपोर्ट पर आपत्ति तथा नजरी नक्शा पेश करते हुये निवेदन किया कि खसरा नं. 316 के पश्चिमी सींव जो खसरा नं. 317 की पूर्वी सींव पर रास्ता सहमति से वर्षो से चल रहा है, उसमें आपत्ति नहीं है परन्तु मौका रिपोर्ट में खसरा नं. 316 काकड़ सींव दक्षिणी सींव से जो कि बहुत बड़ा खेत का धौरा है, से रास्ता नजदीकी बताया है जो कि गलत है, तथा यहां से आवागमन असंभव है तथा उक्त रास्ते से प्रार्थीगण व अप्रार्थी को किसी प्रकार लाभ नहीं होगा क्योंकि अप्रार्थीगण की ढाणियां माफिक नजरी नक्शा के अनुसार है तथा इस मौका रिपोर्ट के कारण न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 16/2020 में वर्णित खसरे भी समान है जो भी प्रभावित होगें इसी प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र हाजा के साथ संलग्न नजरी नक्शानुसार यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो दोनो प्रकरणों का यथासंभव एक साथ निस्तारण हो जायेगा एवं आपस में सभी का रास्ता भी हो जायेगा।

उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब/आपत्ति में विचाराधीन चलते अप्रार्थी संख्या 3 व 5 के द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में किये गये कथन के परिपेक्ष्य में वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2020 प्रकरण हाजा (10/2020) में पेश कर निवेदन किया किया न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 16/2020 जो इन्ही खसरों व खसरान के खातेदारों के संबंध में है, जिसमें भी आज ही तारीख पेशी नियत है। उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को संकलित/उपसंजात (कन्सल्टेड) किये जाने बाबत् पेश किया। पत्रावली संख्या 16/2020 अनुवान बुलीदेवी बनाम कैलीदेवी का पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थना पत्र संख्या 16/2020 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खेत खसरा नं. 637/314 मौजा ढाकासर में प्रार्थियां बुलीदेवी की खातेदारी के रूप में स्थित है, जिसमें प्रार्थीया की रहवासी ढाणी है। जिसमें आने जाने के लिए वर्षो पुराना रास्ता खसरा नं. 317, 316 व 314 में से संलग्न नजरी नक्शानुसार 12 फीट चौड़ाई में है। इसी रास्ते से प्रार्थी अपने खेत में काश्त करसण हेतु पशुधन, ट्रेक्टर, उंट छकड़ा आदि लाती जाती रही है तथा इसी रास्ते का उपभोग व उपयोग करती रही है। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने प्रार्थीयों सहखातेदारी के खेत खसरा नं. 637/314 में अब आने जाने नहीं दे रहे है, जबकि उक्त भूमि प्रार्थीया के बढेर की भूमि है। प्रार्थीया के खेत में आने जाने के लिए अन्य कोई खेताय नहीं होने से माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ता तंवरा से चुवाद पक्की डामर सड़क नजरी नक्शा में मार्क ए से सी तक दर्शाया है। प्रार्थीयां के खेत में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा रास्ते की नितान्त आवश्यकता होने पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जाना तथा माफिक इस्तदुआ अर्थात नजरी नक्शानुसार स्वीकार किये जाने तथा राजस्व रेकर्ड में तरमीम हेतु तहसीलदार जायल के नाम आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र हाजा अर्थात 16/2020 अनुवान बुलीदेवी बनाम कैलीदेवी में दिनांक 04.09.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 व 8 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के पैरा सही होना स्वीकार करते हुये अपने जवाब में प्रस्तावित नजरी नक्शानुसार रास्ता उपयोगी एवं सुविधाजनक होना स्वीकार किया तथा रास्ता घोषित किये जाने पर किसी प्रकार आपत्ति जाहिर नही कर रास्ता दिये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है।

इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अपने जवाब/आपत्ति में प्रार्थना पत्र संख्या 16/2020 के आंशिक पैरा सही होना तथा बाकी समस्त पैराज गलत, बनावटी मनगढ़त होना बताया है। वकील अप्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी का खेत खसरा नं. 637/314 प्रार्थी बुली का होना तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेताय 314 के पास मौजा ढाकासर में जरूर है परन्तु माफिक नजरी नक्शानुसार जो रास्ता दर्शाया है वह रास्ता माफिक मौका रिपोर्ट नजदीकी नहीं है, जबकि मौका रिपार्ट में प्रार्थी के खेत खसरा नं. 637/314 में सबसे नजदीकी रास्ता खसरा नं. 316 व 317 की सींव से होते हुये खसरा न. 314 की सींव पर से अपने खेत खसरा नं. 637/314 में प्रवेश करने का सबसे नजदीकी मौका रिपोर्ट के अनुसार सीधा, नजदीकी व सुगम रास्ता है। किसी भी खेताय के दो टूकड़े नही हो रहे ह। इसके अतिरिक्त अन्य कोई नजदीक रास्ता प्रार्थी के खेत तक नहीं है यही रास्ता कम दूरी का रास्ता है। धारा 251क आर.टी.एक्ट की मंशानुसार सबसे नजदीकी कटाणी रास्ता से ही काश्तकार/खातेदार को वैकल्पिक रास्ता का अभाव होने तथा रास्ते की नितान्त आवश्यकता होने पर दिये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी के खेत 637/314 में जाने के लिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 314 में से घुमावदार रास्ता चाहा है जबकि सबसे कम दूरी का रास्ता खसरा नं. 316, 317 व 314 में से माफिक नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थी की खसरा नं. 314 में से रास्ते की मांग गलत है। अतः प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने जवाब में की जाना पाई गई।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 16/2020 व 10/2020 को संकलित अर्थात उपसंजात किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक **09.09.2020** का जवाब वकील अप्रार्थी द्वारा पेश नही करने तथा सीधें बहस के निवेदन पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् गई। उक्त दोनो ही प्रकरण एक दूसरे के संबंधित होने तथा दोनो प्रकरणों के पक्षकारान् व खसरान् समान पाये जाने पर प्रकरण संख्या 16/2020 बुलीदेवी बनाम कैलीदेवी को पुर्ववर्ती प्रार्थना पत्र संख्या 10/2020 भंवरलाल बनाम छदामाराम वगैरह के साथ संकलित/उपसंजात (कन्सल्टेड) किये जाने संबंधी **दिनांक 20.10.2020** आदेश पारित किये गये। वकुलाय के निवेदन एवं सहमति पर उक्त दोनो पत्रावलियों की संयुक्त मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर तहसीलदार जायल के नाम जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र संख्या 10/2020 व 16/2020 के लिए संयुक्त मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक मार्फत तहसीलदार जायल के जरिये पत्रांक 3363 दिनांक 10.11.2020 प्राप्त हुई जिसमें बिन्दूवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है –

1. खसरा नं. 637/314 खातेदारी बुलीदेवी मेघवाल सा. ढाकासर तहसील–जायल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें आने–जाने हेतु रास्ता प्रस्तावित किया गया है। खसरा नं. 313 की खातेदारी ओमप्रकाश, भगवानाराम, भंवरलाल पिता सालूराम जाति जाट व अणदी, ईमरती, नत्थुड़ी, झणकारी जाति जाट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें आने जाने हेतु रास्ता गया है। खसरा नं. 314 खातेदार कैलीदेवी, छदामाराम, बुधाराम जातियान–मेघवाल निवासी ढाकासर (1/3 –1/3 हिस्सा) राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा नं. 317 की खातेदारी रामदेव, रामकरण, रामेश्वर, सुरजाराम पिता सुखाराम जाट निवासी ढाकासर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा खसरा नं. 707/317 रकबा 0.0405 हैक्टेयर राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पित भूमि है जिसमें पानी का टांका निर्माण किया हुआ है।
2. प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता पगडण्डी मौजूद है।
3. प्रस्तावित रास्ता सबसे नजदीकी है।
4. प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार कच्चा/पक्का निर्माण नहीं है।
5. रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि की प्रतिबीघा डीएलसी दर 23612 रू. है
6. प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट में दर्शाये नजरीनक्शानुसार मार्क बिन्दू ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ., जी. से एच, आई से जे लाल स्याही से डोटेड 13 फीट चौड़ाई के लिए उपयोग/उपभोग में आने वाली भूमि का कुल रकबा 0.1453 हैक्टैयर है जिसका विवरण निम्न प्रकार है –
   1. खसरा नं. 317 रकबा 1.1007 हैक्टैयर में से 0.0040 हैक्टैयर।
   2. खसरा नं. 316 रकबा 1.1007 हैक्टेयर में से 0.080 हैक्टैयर।
   3. खसरा नं. 314 रकबा 2.5819 हैक्टैयर में से 0.0876 हैक्टैयर।
   4. खसरा नं. 637/314 रकबा 1.6187 हैक्टैयर में से 0.0453 हैक्टैयर।

चूंकि उक्त दोनो ही प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत है तथा सम्मरी प्रोसेडिंग के तहत आते है तथा इनका निर्धारित समयावधि 90 दिवस में निस्तारण किया जाना होता है। प्रार्थना पत्र संख्या 16/2020 जो कि पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र है को पूर्ववर्ती प्रार्थना पत्र 10/2020 के साथ उप संजात किया जा चुका है। उक्त दोनो ही प्रकरण में दोनो पक्षों को सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदत्त किये गये। वकुलाय की सहमति पर उक्त दोनो प्रकरणों में एक साथ बहस सुने जाने के निवेदन पर बहस हेतु तारीख नियत की गई।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण (भंवरलाल, बुलीदेवी) ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नं. 313, 637/314 मौजा ढाकासर में स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणियां बनी हुई है। जिसमें आने जाने के लिए वर्षो पुराना रास्ता खसरा नं. 317, 316 व 314 में से संलग्न नजरी नक्शानुसार 12 फीट चौड़ाई में है। प्रार्थीगण के अन्य कोई नजदीकी व सबसे कम दूरी का यही एक मात्र रास्ता होने से प्रार्थी अपने खातेदारी के खेताय में अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 317, 316, 314, 637/314 में से माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से डी 12 फीट चौड़ाई में रास्ते का उपयोग/उपभोग कृषि काश्त हेतु करता रहा है तथा अपने पशुधन, ट्रेक्टर, उंट छकड़ा आदि लाता जाता रहा है। अप्रार्थी बुधाराम व छदामाराम प्रार्थी को सहखातेदारी के खेत खसरा नं. 313 व 637/314 में आने जाने नहीं दे रहे रहे है। जबकि उक्त भूमि प्रार्थीया के बढेर की भूमि है। उक्त खेताय में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण (छदामाराम, बुधाराम, कैलीदेवी, देरामाराम व अन्य) के खातेदारी खेत खसरा नं. 317, 316, 314, में से माफिक नजरी नक्शानुसार दर्शाये मार्क ए से बी, बी से सी, सी से डी तक 12 फीट चौड़ाई के रास्ते से प्रार्थीगण खातेदारी एवं सहखातेदारी के खेताय में काश्त करसण के लिए आते जाते रहे है। जिसकी पुष्टि अप्रार्थी संख्या 3 कैलीदेवी, अप्रार्थी संख्या 5 देरामाराम व अप्रार्थी संख्या 10 से 15 क्रमशः झणकारी, ओमप्रकाश, भगवानाराम, अणदी, नत्थुड़ी, ईमरती द्वारा उक्त दोनो प्रार्थना पत्रों को उपसंजात किये जाने पर प्राप्त नवीनतम मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2020 में दर्शाये मार्क ए से बी, बी से सी व सी से डी अनुसार रास्ता होना व प्रार्थीगण के आने जाने के कथन को स्वीकार किया है। प्रार्थीगण को अपने खेताय में कृषि कार्य करने हेतु आवागमन के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता/संसाधन नहीं प्रार्थना पत्र में वर्णित खेताय में से माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ता के संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं हो पाने के कारण प्रार्थी वादग्रस्त रास्ता अप्रार्थीगण से 12 फीट चौड़ाई में दिलाये जाने हेतु उक्त आवेदन पत्र पेश किया। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा प्रार्थीगण को रास्ते की नितान्त आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माफिक मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2020 के रास्ता घोषित किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के वकील द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्रों के समस्त पैराज गलत, बनावटी मनगढ़त है। प्रार्थी का खेत खसरा नं. 313 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेताय के पास मौजा ढाकासर में जरूर है परन्तु माफिक नजरी नक्शानुसार जो रास्ता दर्शाया है वह रास्ता माफिक

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

मौका रिपोर्ट नजदीकी नहीं है, जबकि मौका रिपार्ट में प्रार्थी के खेत खसरा नं. 313 व 637/314 में सबसे नजदीकी रास्ता खसरा नं. 316 व 314, 317 की सींव से है जो सीधा, नजदीकी व सुगम रास्ता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई नजदीक रास्ता प्रार्थी के खेत तक नहीं है। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रस्तावित रास्ता पर अर्थात खसरा नं. 314, 315 व 317 की भूमि पर टांका बनाये गया है, जो कि हम अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में रास्ते की मांग की जाने के पश्चात् दुरभावना से बनाया गया है। प्रार्थीगण के लिए नजदीकी रास्ता पूर्व में भू.अ. निरीक्षक रिपोर्ट दिनांक 04.08.2020 में संलग्न नजरी नक्शानुसार मार्क ए–बी, बी–सी है तथा वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 318, 319 व 637/314 में से होते हुये दर्शाया है, के अनुसार है। इस प्रकार प्रार्थीगण को खातेदारी खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। धारा 251क आर.टी.एक्ट की मंशानुसार सबसे नजदीकी कटाणी रास्ता से ही काश्तकार/खातेदार को वैकल्पिक रास्ता का अभाव होने तथा रास्ते की नितान्त आवश्यकता होने पर दिये जाने का प्रावधान है।

वकील अप्रार्थी द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की नजीरें आर.आर.टी. 2016–17 (पृष्ठ–597–601, पृष्ठ सं. 649–651), 2018–19 (पृष्ठ संख्या 342–344), 2019 (पृष्ठ संख्या 1507–1511) पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

पत्रावली संख्या 10/2020 व 16/2020 का अवलोकन किया गया। दोनो प्रकरण में प्राप्त पृथक–2 मौका रिपोर्ट है, जिसमें प्रार्थना पत्र 10/2020 अनुवान भंवरलाल बनाम छदामाराम वगैरह में दिनांक 18.08.2020 को प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत में आने जाने का पूर्व में वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 318, 319, 637/314 व 317, 314 व 316 में से होकर पूर्व में था, जो बंद है, प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता खसरा नं. 316 व 314 में से मौका रिपोर्ट में प्रदर्शित नजरी नक्शा के अनुसार मार्क ए से बी, बी से सी है, जो कि ग्राम चुवाद की कांकड़ माठ से लगता है तथा सबसे नजदीकी रास्ता है जिसपर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं है। इसी प्रकार प्रस्तावित रास्ता मार्क ए–बी, बी–सी के लिए 2 गठ्ठा चौड़ाई तथा की लम्बाई 122 गठ्ठा भूमि उपभोग में आयेगी। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 23612/–रू. प्रतिबीघा अंकित है।

इसी प्रकार पत्रावली संख्या 16/2020 बुलीदेवी बनाम कैलीदेवी वगैरह में प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 17.08.2020 में बताया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता जो कि बिन्दू ए–बी, बी–सी एवं डी–ई, ई–एफ, एवं जी–एच जो कि डोटेड मार्ग से

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

दर्शाया गया जिसमें खसरा नं. 314 की भूमि दो भागो में विभक्त हो रही है। परन्तु नजदीकी रास्ता नजरीनक्शानुसार मार्क डी–ई, ई–एफ, जी–एच है, किसी प्रकार कच्चा पक्का निर्माण नहीं है। खसरा नं. 637/314 की भूमिं प्रार्थी स्वयं की ढाणी बनी हुई है। प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित 16 फीट चौड़ाई के रास्ते के लिए उपभोग में आने वाली भूमि खसरा नं. 316 में से 0.0042 हैक्टेयर, खसरा नं. 317 में से 0.0175 हैक्टेयर, खसरा नं. 314 में से 0.0135 हैक्टैयर अर्थात कुल 0.0352 हैक्टैयर आयेगी। मौका रिपोर्ट में वर्णन अनुसार प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता पगडण्डी के रूप में मौजूद है।

उक्त दोनो प्रकरणों को एक साथ निस्तारण किये जाने के लिए पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र संख्या 16/2020 को पूर्ववर्ती प्रार्थना पत्र संख्या 10/2020 के साथ उप संजात किये जाने पर दिनांक 05.01.2021 को तहसीलदार जायल के मार्फत प्राप्त भू.अ. संयुक्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि रास्ता केवल एक खसरे तक सीमित नही है अपितु खसरा नं. 316, 317, 314, 637/314 व 313 रास्ता चाह रहे है ऐसी स्थिति में कटाणी रास्ता दोनो का एक ही रेफरेन्स बिन्दू है तथा प्रस्तावित रास्ता लगायत एवं सांतत्य में ही चलता है।

प्रकरण संख्या 10/2020 में प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 04.08.2020 में प्रार्थी द्वारा खातेदारी खेत खसरा नं. 313 के लिए खसरा नं. 637/314, 314, 316, 317 में से रास्ता चाहा है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता पगडण्डी के रूप में खसरा नं. 637/314, 319, 318 में से तथा प्रार्थी के खेत खसरा नं. 313 के लिए निकटतम रास्ता नजरी नक्शानुसार मार्क ए–बी, बी–सी बताया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट में खातेदार/काश्तकार प्रहलादराम, मांगीलाल, भंवरलाल एवं बुलीदेवी द्वारा हस्ताक्षर किये गये है तथा अप्रार्थी छदामाराम, बुधाराम जो कि मौके पर उपस्थित होने के बावजूद हस्ताक्षर करने से मना किया जाना अंकित किया हुआ है।

इसी प्रकार प्रकरण संख्या 16/2020 अनुवान बुलीदेवी बनाम कैलीदेवी में प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 17.08.2020 में प्रार्थी बुलीदेवी द्वारा खसरा नं. 637/314 के लिए खसरा नं. 314, 316 व 317 में से रास्ता चाहा है। उपरोक्त प्रकरणो में प्राप्त संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2020 का परीक्षण करने से पाया कि खसरा नं. 707/317 जो कि मूल खसरा नं. 317 का भाग है तथा खसरा नं. 637/314 खसरा नं. 314 का भाग है। जिसमें प्रार्थी भंवरलाल द्वारा सहखातेदारी के खेत खसरा नं. 313 के लिए रास्ता हेतु अन्य सहखातेदार झणकारी, ओमप्रकाश, भगवानाराम, अणदी, नत्थुड़ी ईमरती एवं खेत खसरा नं. 637/314 की खातेदार बुलीदेवी एवं खसरा नं 314 में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) [stamp]

उपखण्ड कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

सहखातेदार कैलीदेवी जो कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की मां है तथा खसरा नं. 637/314 में ढाणी बनी है, तथा खातेदार बुलीदेवी की सास है, जो कि प्रस्तावित रास्ते से सहमत है। परन्तु खेत खसरा नं. 314 के सहखातेदार कैलीदेवी के अलावा अन्य खातेदार छदामाराम, बुधाराम जो कि कैलीदेवी के पुत्रगण है, जिनकी रहवासी ढाणियां भी उक्त खेत खसरा नं. 314 में बनी हुई है तथा स्वयं भी इसी रास्ते का उपभोग आने जाने के लिए कर रहे है परन्तु खातेदार काश्तकार खेत खसरा नं. 313 भंवरलाल एवं खसरा नं. 637/314 के खातेदार बुलीदेवी को उक्त रास्ते का उपयोग/उपभोग करने से मना क़र रहे है।

प्रकरणो के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि खेत खसरा नं. 314 के तीन खातेदार यथा–कैलीदेवी, छदामाराम व बुधाराम स्वयं तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते का उपभोग कर रहे है परन्तु प्रार्थी बुलीदेवी व भंवरलाल जो कि खेत खसरा नं. 637/314 व 313 के खातेदार है को उक्त रास्ते का उपभोग नहीं करने हेतु केलीदेवी के अतिरिक्त अन्य सहखातेदार छदामाराम व बुधाराम मना कर रहे है। इसी प्रकार मौका में प्रार्थीगण के आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग पगडण्डी होना बताया है पगडंडी वैकल्पिक रास्ते की परिभाषा को पूर्ण कैसे करेगा। क्योंकि इससे न तो ट्रेक्टर, ट्रोली ले जा सकता ना ही अन्य संसाधन ले जा सकते है। रास्ता कम से कम 15–16 फीट चौड़ा तो होना ही चाहिऐ।

हमारी राय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क एवं राजस्थान काश्तकारी नियम 69–70 की मंशा के अनुरूप पगडण्डी वैकल्पिक रास्ते के रूप में विकल्प नहीं हो सकती है क्योंकि इससे काश्त–कृषण हेतु आवश्यक संसाधन यथा–ट्रेक्टर, ट्रोली, हल, छकड़ा इत्यादि नहीं आ जा सकते है। काश्तकार को काश्त–कृषण की असुविधा तो यथावत् ही बनी रहती है। अप्रार्थी छदामाराम व बुधाराम स्वयं तो संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2020 में बताये गये उक्त प्रस्तावित रास्ता मार्क ए–बी–सी–डी–ई–एफ–जी–एच–आई–जे का उपभोग कर रहे है तथा प्रार्थीगण भंवरलाल व बुलीदेवी को खसरा नं. 318 व 319 में से प्रचलित पगडण्डी का उपयोग करने का कह रहे है।ऐसी स्थिति में पगडण्डी जो खसरा नं. 318 व 319 में से बताई गई है, विकल्प का रास्ता नहीं हो सकती है।

वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई नजीरें प्रकरण में हुबहु चस्पा नहीं होती है। इस कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होती है।

Scanned with CamScanner

अतः हम दोनो पत्रावलियों अर्थात प्रार्थना पत्र संख्या 10/2020 अनुवान भंवरलाल बनाम छदामाराम एवं प्रार्थना पत्र संख्या 16/2020 बुलीदेवी बनाम कैलीदेवी में प्रस्तुत संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2020 वर्णनानुसार ग्राम ढाकासर तहसील जायल के खेत खसरा नं. 316, 314, 637/314, 317 में से नजरीनक्शा में दर्शाये मार्क ए–बी–सी–डी–ई–एफ–जी–एच–आई–जे– मुताबिक 13 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत व घोषित करना उचित समझते है।

– : आदेश : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए दोनो पत्रावलियों यथा 10/2020 एवं 16/2020 में प्रभावित पक्षकारों के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण तहसीलदार जायल से संयुक्त प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2020 में माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम–ढाकासर (तंवरा) तहसील–जायल के खसरा नं. 316, 314, 637/314, 317 में से डोटेट मार्क मार्क ए–बी–सी–डी–ई–एफ–जी–एच–आई–जे मुताबिक 13 फीट चौड़ाई का स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2020 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी।

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम–ढाकासर (तंवरा) तहसील–जायल के खसरा नं. 317, 316, 314, 637/314 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी पक्ष से प्रभावित खातेदार/पक्षकार को वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24/03/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

24/03/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

(एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner